

प्रेषक,

महेश नौटियाल,  
प्रधान न्यायाधीश,  
कुटुम्ब न्यायालय,  
ललितपुर।

सेवा में,

सयुक्त निबंधक,  
प्रशासनिक ए-1 अनुभाग,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

पत्रांक

86/80

ललितपुर:

दिनांक 14-09-2022

विषय :-

चश्मा कय प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 08.04.2022 के द्वारा रु015,000/- मात्र चश्मा कय प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रपत्र प्रेषित किये गये थे। तत्कम में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2022 को यह आपत्ति लगाई गई है की उक्त चश्मा कय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में धोषणा पत्र प्रेषित करें।


अतः धोषणा पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

सादर,

**संलग्नक :-**

- 1- धोषणा-पत्र।
- 2- जनपद न्यायालय देवरिया से प्राप्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- 3- जनपद न्यायालय फिरोजाबाद से प्राप्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

 14/9/2022


(महेश नौटियाल)  
प्रधान न्यायाधीश,  
कुटुम्ब न्यायालय,  
ललितपुर।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ललितपुर ।

धोषणा-पत्र

मैं धोषणा करता हूँ कि मैं दिनांक 25.04.2018 से 15.04.2019 तक जनपद न्यायालय देवरिया एवं दिनांक 18.04.2019 से 31.08.2021 तक जनपद न्यायालय फिरोजाबाद में सेवारत रहा हूँ मेरे द्वारा दिनांक 25.04.2018 से अभी तक चश्मा कय प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित कोई भी भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है एवं दिनांक 25.04.2018 से अब तक की अवधि में दिनांक 08.04.2022 के द्वारा चश्मा कय प्रतिपूर्ति हेतु दावा किया गया है।

दिनांक 14.09.2022


  
(महेश नौटियाल)  
प्रधान न्यायाधीश,  
कुटुम्ब न्यायालय,  
ललितपुर।



कार्यालय आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद न्यायालय देवरिया

प्रमाण पत्र

कार्यालय अभिलेख के अनुसार श्री महेश नौटियाल तत्कालीन अपर जिला  
जज देवरिया को कार्यरत अवधि में किसी प्रकार के चश्मा प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान नहीं हुआ है।  
तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

  
आहरण एवं वितरण अधिकारी


जजी देवरिया।  
~~आहरण एवं वितरण अधिकारी~~  
जजी देवरिया

कार्यालय लेखा अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद

अभुगतान प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है श्री महेश नौटियाल, तत्कालीन अपर जिला जज, फिरोजाबाद, दिनांक 18.04.2019 से 31.08.2021 तक इस न्यायिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहे हैं. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार अधिकारी महोदय द्वारा उक्त अवधि में चशमें प्रतिपूर्ति के लिये न तो कोई दावा प्रस्तुत किया गया है और न ही इस कार्यालय से चशमें की व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।

दिनांक: 09-03-2022

  
2/3/2022  
Deputy District Officer  
Ferozabad  
जिला न्यायालय, फिरोजाबाद